

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2016-भाद्र 18, शके 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

**BEFORE THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH,
BENCH AT INDORE**

ORIGINAL COMPANY JURISDICTION

COMPANY APPLICATION (PETITION) No. 32 OF 2016

Proc. I.D. 48991/16.

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956

AND

IN THE MATTER OF AN APPLICATION UNDER SECTION 391-394 OF THE SAID ACT

AND

IN THE MATTER OF SCHEME OF AMALGAMATION

OF

MOIRA STEELS LIMITED,

Registered Office at 103, Laxmi Tower 576,
M.G. Road, Indore (M.P.) 452001.

.....Petitioner/Transferor Company 1

AND

RATHI IRON AND STEEL INDUSTRIES LIMITED,

Registered Office at Plot No. 808 A & B, Pithampur
Industrial Area Sector-III, Pithampur, Dhar (M.P.) 454774.

.....Petitioner/Transferor Company 2

AND

BHARTI INGOT PRIVATE LIMITED,

Registered Office at 103, Laxmi Tower 576,
M.G. Road, Indore (M.P.) 452001.

.....Petitioner/Transferor Company 3

AND

RIDDHI ISPAT (INDIA) PRIVATE LIMITED,

Registered Office at 103, Laxmi Tower 576,
M.G. Road, Indore (M.P.) 452001.

.....Petitioner/Transferor Company 4

AND

AVI ISPAT PRIVATE LIMITED,

Registered Office at 103, Laxmi Tower 576,
M.G. Road, Indore (M.P.) 452001.

.....Petitioner/Transferor Company 5

AND

GUNJAN IRON AND STEEL (INDIA) PRIVATE LIMITED,

Registered Office at 504, President Regency 3/5
Manoramaganj, Indore (M.P.) 452011.

.....Petitioner/Transferor Company 6

AND

SHUBHAM FININVEST (INDIA) PRIVATE LIMITED,

Registered Office at 104-105, Baikunthdham Colony,
Anand Bazar, 501-Darshan Residency,
Indore (M.P.) 452001.

.....Petitioner/Transferor Company 7

AND

KAMYABI DEALER PRIVATE LIMITED,

Registered Office at 103, Laxmi Tower 576,
M.G. Road, Indore (M.P.) 452001.

.....Petitioner/Transferor Company 8

AND

BROADWAY TRADERS PRIVATE LIMITED,

Registered Office at, Registered Office at 103,
Laxmi Tower 576, M.G. Road, Indore (M.P.) 452001.

.....Petitioner/Transferor Company 9

AND

BHOOTNATH ISPAT TRADERS PRIVATE LIMITED,

Registered Office at 103, Laxmi Tower 576,
M.G. Road, Indore (M.P.) 452001.

.....Petitioner/Transferor Company 10

WITH

JAIDEEP ISPAT AND ALLOYS PRIVATE LIMITED,

Registered office at Plot No. 808-D, Pithampur Industrial
Area Sector-III, Pithampur, Dhar (M.P.) 454774.

.....Petitioner/Transferee Company

NOTICE OF PETITION

A petition under section 391-394 of the Companies Act, 1956 for obtaining sanction of this Hon'ble Court to the scheme of arrangement between Moira Steels Limited and Rathi Iron and Steel Industries Limited and Bharti Ingot Private Limited and Riddhi Ispat Private Limited and Avi Ispat Private Limited and Gunjan Iron and Steel (India) Private Limited and Shubham Fininvest (India) Private Limited and Kamyabi Dealer Private Limited and Broadway Traders Private Limited and Bhootnath Ispat Traders Private Limited (Transferor/Petitioner Company 1 to 10) with Jaideep Ispat and Alloys Private Limited (Transferee/Petitioner Company) was presented by the petitioners above named on 19th August, 2016 and that the said petition is fixed for hearing before the Hon'ble Company Judge on 29th September, 2016.

Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the Petitioner Advocate, notice of his intention, signed by him or his Advocate, with his name and address, so as to reach the petitioners advocate not later than 2 days before the date fixed for hearing of the Petition. Where he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of the affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition shall be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

Indore
Dated : 29-08-2016.

(343-B.)

Sd/- **Abhinav P. Dhanodkar,**

Advocate for the Petitioner Company,
Address: Anand Bhawan 14-B, Ratlam
Kothi, Indore Chamber No. 110,
State Bar Council Building, High Court
Campus, Indore-(M.P.).

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

M.P. AUDYOGIK KENDRA VIKAS NIGAM, (INDORE) LTD.

दिनांक 06 सितम्बर, 2016

प्रारूप-1

(नियम-7 देखिए)

विकास स्कीम क्षेत्र के प्रारूप के प्रकाशन की सूचना

क्र./ एकेवीएन/ई/प्लानिंग/2016/10799.—एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि, मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन अधिनियम, 2013 की धारा-4 के प्रावधानों अन्तर्गत निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंधन स्कीम (पीथमपुर) के योजना क्षेत्र का प्रारूप तैयार किया गया है, जिसकी एक प्रति निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु उपलब्ध है:-

1. संभागायुक्त, इन्दौर.
2. कलेक्टर-इन्दौर.
3. कलेक्टर-धार.
4. मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो विकास योजना क्षेत्र के प्रारूप से प्रभावित किसी व्यक्ति से अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन होने से तीस दिन के भीतर लिखित में प्राप्त हो, विचार किया जाएगा.

कुमार पुरुषोत्तम,
प्रबंध संचालक

(347-बी.)

म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर.

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

मैं, ओमप्रकाश जाटव, पिता का नाम श्री रामहेत जाटव, मूल निवासी-ग्राम नगदी, पोस्ट नागदा, तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.) का रहने वाला हूँ. मैंने अपना उपनाम जाटव की जगह बैरवा कर लिया है. अतः मुझसे सम्बंधित हर प्रकार के अभिलेखों में मेरा उपनाम जाटव की जगह बैरवा पढ़ा एवं पुकारा जावे.

पुराना नाम :

(ओमप्रकाश जाटव)

नया नाम :

(ओमप्रकाश बैरवा)

पिता रामहेत जाटव,
निवासी-ग्राम-नगदी, पोस्ट नागदा,
तहसील श्योपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.).

(334-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी से पूर्व में मुझे डॉ. श्वेता तोमर पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह तोमर, निवासी-शिन्दे की छावनी, लश्कर, ग्वालियर के नाम एवं उपनाम से जानी जाती थी. मेरी शादी डॉ. सचिन सिंह यादव से सेलार की गोठ लश्कर, ग्वालियर के साथ हिन्दू रीति-रिवाज, दिनांक 01 मई, 2006 में सम्पन्न हुई है. अतः शादी के बाद परम्परानुसार उपनाम अब मेरे नाम के साथ डॉ. श्रीमती श्वेता यादव नाम से सम्बोधित किया जावे तथा मेरे सरकारी गैर सरकारी दस्तावेजों में डॉ. श्वेता यादव के नाम से जाना जाये. भविष्य में मेरे सभी कार्य इसी नाम से संचालित होंगे.

पुराना नाम :

(श्वेता तोमर)

पुत्री श्री राजेन्द्र सिंह तोमर,
निवासी-शुभम काम्पलेक्स,
शिन्दे की छावनी, लश्कर, ग्वालियर.

(342-बी.)

नया नाम :

(श्वेता यादव)

निवासी-सेलार की गोठ, लश्कर,
ग्वालियर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुनील शर्मा पिता श्री आई. पी. शर्मा अपने नाम में संशोधन करते हुए सुनील शर्मा के बजाय सुनील पाण्डेय कर लिया है. अतः अब तक जो लोग मुझे सुनील शर्मा के नाम से जानते थे. अब सुनील पाण्डेय के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(सुनील शर्मा)

(335-बी.)

नया नाम :

(सुनील पाण्डेय)

अखाडघाट, रीवा (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अक्षिका अरोरा की जगह अक्षिका पिता समीर प्रभाकर के नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

(अक्षिका)

पिता हर्षकुमार अरोरा.

(336-बी.)

नया नाम :

(अक्षिका)

पिता समीर प्रभाकर,
एफ-89, विजय नगर, स्कीम नम्बर 54,
इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम तान्या अरोरा की जगह तान्या पिता समीर प्रभाकर के नाम से जाना जाए.

पुराना नाम :

(तान्या)

पिता हर्षकुमार अरोरा.

(337-बी.)

नया नाम :

(तान्या)

पिता समीर प्रभाकर,
एफ-89, विजय नगर, स्कीम नम्बर 54,
इन्दौर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

This is notification to all concerned that I Sunil Acharya has changed My name to Sunnil Acharya and shall henceforth be known only as Sunnil Acharya for all purposes.

Old Name :

(SUNIL ACHARYA)

(344-B.)

New Name :

(SUNNIL ACHARYA)

72, Saket Nagar, Indore (M.P.).

आम सूचना

मैं, अपने पक्षकारगणों श्री मेघराज सिंह शेखावत आ. स्व. श्री कल्याण सिंह और श्रीमती सरोज कंवर पत्नी श्री मेघराज सिंह शेखावत, निवासीगण सी-28, हनुमान नगर खांटीपुरा जयपुर, राजस्थान एवं श्रीमती रत्ना जादौन पत्नी श्री विरेन्द्र सिंह जादौन, निवासी ई-7, एम-708, अरेरा कॉलोनी, भोपाल म.प्र. के निवेदन पर सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पक्षकारगणों द्वारा एक पार्टनरशिप डीड का रजिस्ट्रेशन फर्म एण्ड सोसायटी कार्यालय भोपाल से मैसर्स एस. आर. ट्रेडर्स रजिस्टर्ड कराया था. जिसका रजि. क्र. 01/01/01/00172/14-15, दिनांक 11-07-2014 था. जिसका कार्यालय 12 मेट्रोप्लाजा बिट्ठल मार्केट, भोपाल था. अब वर्तमान में उक्त कार्यालय दिनांक 09-07-2016 से स्थानांतरित होकर ई-7/एम-708, अरेरा कॉलोनी, भोपाल म.प्र. हो गया. उक्त फर्म के माध्यम से सेन्ट माइन्स का व्यवसाय किया जा रहा है. वर्तमान में उसी के साथ अतिरिक्त व्यवसाय हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसिंग, रियल स्टेट एण्ड कंस्ट्रक्शन (क्रय एवं विक्रय) कार्य भी दिनांक 11-07-2016 से प्रारम्भ कर दिया गया है. उपरोक्त पार्टनरशिप डीड में मेघराज सिंह शेखावत का हिस्सा पूर्व में 50% था. जो कि वर्तमान में 33% है एवं श्रीमती सरोज कंवर का हिस्सा पूर्व में 25% तथा जो कि वर्तमान में 17% है और श्रीमती रत्ना जादौन का हिस्सा पूर्व में 25% था, जो कि वर्तमान में 50% है. वर्तमान पते के समर्थन हिस्सेदारी का प्रतिशत और अतिरिक्त व्यवसाय संचालित किये जाने का समर्थन में यह प्रकाशन किया जा रहा है.

अनिल कुमार पाण्डेय,

(अभिभाषक)

निवास एवं कार्यालय 40 गीत बंगले,

फेस-5, अयोध्या बायपास रोड,

भोपाल (म.प्र.).

(338-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स सीमेन्ट सिंडिकेट, स्थित 16, जिला पंचायत कॉम्प्लेक्स, अम्बेडकर भवन के सामने, गुना जिसका पंजीयन क्रमांक 02/40/01/0313/15, वर्ष 2014-15 है. जिसमें दिनांक 28-01-2016 से भागीदार श्री महेश रघुवंशी पुत्र श्री हरिराम सिंह रघुवंशी एवं अवधेश सिंह रघुवंशी पुत्र श्री हरिराम सिंह रघुवंशी, निवासी दलवीर कॉलोनी, गुना फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 28-01-2016 से कुमारी मोनिका रघुवंशी पुत्री श्री महेश रघुवंशी एवं महेश रघुवंशी पुत्र श्री हरिराम रघुवंशी, निवासी प्रताप छात्रावास के सामने, गुना नवीन भागीदार के रूप में फर्म में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-सीमेन्ट सिंडिकेट,

अनीता रघुवंशी,

(भागीदार).

(339-बी.)

आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार मेसर्स डीकोन डिजाइन कन्सलटेंट एण्ड आर्किटेक्ट के साझेदार (1) श्री हरजीत श्रीवास्तव, (2) सन्तोष कुमार तिवारी, (3) राजेश सक्सेना, (4) अर्चना धोंडे, (5) राखी श्रीवास्तव, (6) काजल तिवारी, (7) रेखा सक्सेना, (8) अभय धोंडे फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं, भोपाल में पंजीयन क्रमांक 232/1993, दिनांक 07-08-1993 को हुआ जिसमें दो भागीदार (4) अर्चना धोंडे (8) अभय धोंडे, दिनांक 01-04-2013 को निवृत्तमान हो गये हैं साथ ही फर्म का पूर्व पता-5, मालवीय नगर, भोपाल के स्थान पर नया पता-एफ. एफ. 15-बी ब्लॉक-सी मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, हबीवगंज, रेल्वे स्टेशन के सामने भोपाल हो गया है.

उक्त निवृत्तमान भागीदारों का फर्म से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है इनके साथ किया गया किसी भी प्रकार का संव्यवहार कृत्य शासकीय-अशासकीय आज दिनांक के बाद मान्य नहीं होगा यदि कोई व्यक्ति संस्था उक्त साझेदारों से किसी प्रकार का संव्यवहार या कृत्य करती है तो वह अवैधानिक एवं शुन्य माना जावेगा.

द्वारा

एन. के. साहू,

(अधिवक्ता)

एफ-9, एलाईड कॉम्प्लेक्स,

मोती मस्जिद के सामने, भोपाल (म.प्र.).

(340-बी.)

आम सूचना**भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन सूचना**

मैं, अपने पक्षकार मेसर्स समृद्धि इंडस्ट्रीज के साझेदार श्रीमति प्रिया वी. दरयानी एवं श्रीमति दिव्या दरयानी के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स समृद्धि इंडस्ट्रीज में भागीदार क्र. (1) श्रीमति प्रिया वी. दरयानी, (2) श्रीमति दिव्या दरयानी, (3) श्री प्रशान्त दरयानी, (4) श्रीमति रिचा पी. दरयानी फर्म का पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल में दिनांक 08-04-2011, पंजीयन क्र. 01/01/01/00009/11 है. जिसमें दो भागीदार श्री प्रशान्त दरयानी एवं श्रीमति रिचा पी. दरयानी, दिनांक 30-06-2016 को स्वेच्छा से निवृत्तमान हो गये है.

उक्त निवृत्तमान भागीदारों का फर्म से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है इनके साथ किया गया किसी भी प्रकार का संव्यवहार कृत्य शासकीय-अशासकीय आज दिनांक के बाद मान्य नहीं होगा साथ ही कारोवार के प्रमुख स्थान में परिवर्तन किया गया है फर्म का पुराना पता शॉप नं. 06 प्रथम तल शाह बिल्डिंग हमीदिया रोड, भोपाल था अब वर्तमान में दिनांक 01/07/2016 से नवीन पता-डी 149, बी ब्लॉक फिरदोस नगर बेरसिया रोड, भोपाल 462001 से फर्म मेसर्स समृद्धि इंडस्ट्रीज का कार्यालय संचालित होगा सर्व-साधारण को सूचित हो.

द्वारा

एन. के. साहू,

(अधिवक्ता)

एफ-9, एलाईड कॉम्पलेक्स,

मोती मस्जिद के सामने,

भोपाल (म.प्र.).

(341-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स पलिया कन्स्ट्रक्शन कैलारस स्थित एम. एस. रोड, हीरो होण्डा एजेन्सी के पास, कैलारस, जिला मुरैना, जिसका पंजीयन क्रमांक 02/44/06/00117/08, वर्ष 2008-09, दिनांक 22-10-2008 को पंजीकृत हुई. जिसमें दिनांक 01-04-2011 को भागीदार चतुर्भुज शर्मा पुत्र श्री रामरतन शर्मा, निवासी पुरानी सब्जी मंडी रोड कैलारस, जिला मुरैना एवं आदिराम शर्मा पुत्र श्री हरीकृष्ण शर्मा, निवासी अमरनाथ कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 01-06-2015 से भागीदार श्री सुरेश उपाध्याय पुत्र श्री चतुर्भुज उपाध्याय, निवासी पुरानी सब्जी मण्डी रोड कैलारस, जिला मुरैना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

अनूप शर्मा,

(भागीदार)

पलिया कंस्ट्रक्शन, कैलारस.

(345-बी.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s Divisha foods a partnership firm having head office at Nayagaon Housing Society, Rampur, Jabalpur was registered vide partnership deed dated 30-12-2015, having partners- Shri Navdeep Singh Khera, Shri Rachit Khera.

On 01-02-2016, Ms. Divisha Khera joined the partnership and partners of the firm were Shri Navdeep Singh Khera, Shri Rachit Khera and Ms Divisha Khera.

On 01-03-2016 Shri Navdeep Singh Khera, Shri Rachit Khera retired from the partnership and since there were only three partners in the firm, business of the firm is being continued by Ms Divisha Khera as a sole proprietor and partnership has been dissolved.

This public notice is being published for the purpose of registration of dissolution of partnership with the office of Registrar of firms and Society.

M/s Divisha Foods,

DIVISHA KHERA,

(Partner).

(346-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर, मण्डला

मण्डला, दिनांक 08 अगस्त, 2016

आदेश

क्र./ए.एस.सी./2016/563.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-3-2/1999/1/4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च, 1999 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एवं इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-एएससी/2015/1056, मण्डला, 22 दिसम्बर, 2015 में आंशिक संशोधन करते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, कलेक्टर, मण्डला वर्ष 2016 में मण्डला जिले के लिये 10 अक्टूबर, 2016 सोमवार दशहरा (महानवमी) का स्थानीय अवकाश निरस्त करते हुये दिनांक 09 अगस्त, 2016 मंगलवार को “विश्व आदिवासी दिवस” को सम्पूर्ण दिवस के लिए स्थानीय अवकाश घोषित करती हूँ. शेष स्थानीय अवकाश यथावत् रहेंगे.

उक्त अवकाश बैंकों, कोषालयों, उप-कोषालयों के लिये लागू नहीं होंगे.

(684)

प्रीति मैथिल नायक,
कलेक्टर.

न्यायालय कलेक्टर, जिला झाबुआ

प्र.क्र./41/बी-121/2016-17.

झाबुआ, दिनांक 11 अगस्त, 2016

आदेश

क्र./1190/रीडर-1/2016.—प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक भारत ओमान रिफाईनरीज लिमिटेड, बावड़ी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ द्वारा इंटरमिटिएट पम्पिंग स्टेशन वेदनार-बीना पाईप लाईन का पम्पिंग सब-स्टेशन ग्राम बावड़ी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ में 900 वर्गमीटर भूमि पर बना हुआ है. उक्त पम्पिंग सब-स्टेशन के चारों ओर पक्की बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है. आवेदक भारत ओमान रिफाईनरीज लिमिटेड, बावड़ी, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ द्वारा इंटरमिटिएट पम्पिंग सब-स्टेशन को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग की गई है.

प्रकरण में आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पेटलावद को क्या उक्त भूमि सब-स्टेशन को प्रतिबंधित करना आवश्यक है, आवेदक किन कारणों से उक्त क्षेत्र को प्रतिबंधित घोषित कराना चाहता है, आदि के सम्बन्ध जांच कर आसपास के सर्वे नंबरान के भूमि स्वामियों की सुनवाई कर प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत सहित चाहा गया, जो अनुशंसा सहित प्राप्त हुआ.

अतः मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था अधिनियम, 1980 की धारा-32 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं, डॉ. अरूणा गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ, तहसील पेटलावद, के ग्राम बावड़ी में स्थापित IPS-2 पम्पिंग सब-स्टेशन को संरक्षित क्षेत्र (प्रोटेक्टेड एरिया) निम्न प्रतिबंधों के साथ घोषित करती हूँ—

1. कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या जिला दण्डाधिकारी या ऐसे अन्य अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञा के बिना संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं रहेगा.
2. जहां उपधारा (2) के अनुसरण में किसी व्यक्ति को किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने, उसमें रहने की अनुज्ञा दी जाती है वहां वह व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय अपने आचरण को विनियमित करने के लिए ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो कि उस प्राधिकारी द्वारा दिये जाए, जिसने कि अनुज्ञा दी है.
3. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करेगा या रहेगा, तो ऐसी किन्हीं भी अन्य कार्यवाहियों पर जो कि उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा.
4. यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों के किसी उपबंध पर उल्लंघन करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माना से या दोनों से दण्डनीय होगा.

5. कोई भी व्यक्ति, जो किसी संरक्षित स्थान पर संरक्षित क्षेत्र में ऐसे स्थान या क्षेत्र का संरक्षण करने या ऐसे स्थान या क्षेत्र में प्रवेश को रोकने या नियंत्रित करने के प्रयोजन से तैनात किये गये किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने या प्रयोग करने की धमकी देकर या किसी ऐसे व्यक्ति से अपने प्रवेश कराने का प्रयत्न करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा.
6. प्रतिबंधित क्षेत्र पर तकनीकी सुरक्षा प्रबंधों की समुचित व्यवस्था की जावे.
7. किसी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भारत ओमान रिफाईनरीज लिमिटेड का रहेगा.

अरूणा गुप्ता,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

(694)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक-न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लश्कर, जिला ग्वालियर

प्र.क्र. /2015-16/बी-113(1).

ग्वालियर, दिनांक 22 अगस्त, 2016

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5 (1) देखिए]

आवेदक डॉ. पुरुषोत्तम जाजू रॉक्सि टॉकीज के पास, कम्पू रोड, लश्कर, ग्वालियर ने अभिभाषक श्री एम. जी. जाधव के द्वारा दिनांक 23 जून, 2016 से "जाजू फाउन्डेशन" स्थित कम्पू रोड, ग्वालियर मध्यप्रदेश ने 1951 (1951 का तीसवां) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मेरे न्यायालय में दिनांक 23 सितम्बर, 2016 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है उसका गठन करता है.

अतः मैं, पंजीयन, लोक न्यास, जिला ग्वालियर का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में नियत दिनांक 23 सितम्बर, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथाअपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता है.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक अथवा अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम : "जाजू फाउन्डेशन"
और पता. कम्पू रोड, ग्वालियर मध्यप्रदेश.
2. लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन:-
1. चल सम्पत्ति : 10,000/- रुपये.
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.

विजय राज,
पंजीयक.

(685)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, नीमच, जिला नीमच

प्रारूप-4

[नियम 5(1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और धारा-5 उपधारा-2 और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

चूंकि श्री विनोद पिता श्री मथुरालालजी जैन, निवासी-एल-114, इंदिरा नगर, नीमच, जिला नीमच द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया गया है.

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 13 सितम्बर, 2016 को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस विज्ञापित के द्वारा सूचना दी जाती है।

अतः मैं, आदित्य शर्मा, पंजीयक, लोक न्यास, नीमच मध्यप्रदेश का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 13 सितम्बर, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचन के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के अंदर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और न्यायालय के समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता . . . श्री शंखेश्वर पार्श्व पद्मावती धाम ट्रस्ट, शक्तिनगर, नीमच (म.प्र.).

लोक न्यास की सम्पत्ति का विवरण:-

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1. अचल सम्पत्ति | : | निरंक. |
| 2. चल सम्पत्ति | : | रु. 5,000/- (अक्षरी रुपये पांच हजार मात्र). |

आदित्य शर्मा,
पंजीयक.

(686)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन

प्र.क्र. 11/बी-113/2015-16.

उज्जैन, दिनांक 23 अगस्त, 2016

प्रारूप-चार

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1959 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2)

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

पंजीयक,

लोक न्यास,

उज्जैन, जिला उज्जैन के समक्ष.

चूँकि आवेदक ट्रस्टी गुरु श्री श्री एक हजार आठ महामण्डलेश्वर परमपूज्य श्री स्वामी प्रेमानंद जी महाराज उज्जैन द्वारा सनातन पार्लियामेंट ट्रस्ट उज्जैन, तहसील व जिला उज्जैन ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 26 सितम्बर, 2016 को प्रातः 11.00 बजे स्थान कोठी पैलेस उज्जैन का विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में की आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, पंजीयक, लोक न्यास एवं डिप्टी कलेक्टर, उज्जैन, जिला उज्जैन का लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 26 सितम्बर, 2016 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जाएगा।

अनुसूची

(लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन तथा लोक न्यास का नाम और पता)

न्यास का नाम	:	सनातन पार्लियामेंट ट्रस्ट, उज्जैन.
कार्यालय पता	:	सी-9/2, नारायण धाम, महानंदानगर, उज्जैन.
अचल सम्पत्ति	:	आवेदन-पत्र अनुसार अचल सम्पत्ति निरंक है.
चल सम्पत्ति	:	10,000/- रु. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उज्जैन के खाते क्रमांक 35529651090 की पावती पेश की है.

शितिज शर्मा,

पंजीयक एवं डिप्टी कलेक्टर.

(687)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थांदला, जिला झाबुआ**प्रारूप क्रमांक-5**

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

यतः मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-2 की उपधारा (4) के आशय के अधीन लोक न्यास का गठन करती है.

अब इसलिये मैं, श्री रामेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास थांदला, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश लोक न्यास का पंजीयन थांदला, जिला झाबुआ में मेरे न्यायालय में कथित अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 में यथा अपेक्षित, मामले में जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति या सुझाव देने का आशय रखने वाले को दो प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अधिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	:	श्री रामेश्वर महादेव मंदिर धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास थांदला, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति में	:	श्री रामेश्वर महादेव मंदिर जो थांदला के वार्ड नंबर 02 में महात्मागांधी मार्ग पर भवन क्रमांक 569 पर नगर परिषद के रिकार्ड में दर्ज है. जिसकी चतुर्सीमा निम्न है.— पूर्व में - कन्याछात्रावास भवन, पश्चिम में - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन. उत्तर में- आमरास्ता, दक्षिण में - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर.
चल सम्पत्ति	:	कथित न्यास के पास वर्तमान में रुपये 16472/- बैंक में जमा हैं.

दिनांक 17-03-2016

(688)

रंजीतसिंह बालोदिया,

पंजीयक.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, पिपरिया, जिला होशंगाबाद

रा. प्र. क्र./04/बी-113/2015-16.

मौजा-पिपरिया ह. नं. 21, तहसील पिपरिया.

(मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5-1)

लोक न्यासों के पंजीयक पिपरिया, जिला होशंगाबाद के समक्ष.

आवेदक ज्ञानचंद मालपानी आ. उदयराम मालपानी, निवासी जाकिर हुसैन वार्ड मंगलवारा बाजार, पिपरिया, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये प्रस्तुत किया जाकर "मालपानी ऐजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट" के नाम से लोक न्यास का पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 2016 के माह 08 के 03 दिनांक को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा. आवेदित कथित न्यास के पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई भी

व्यक्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर आपत्ति या सुझाव दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं। मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अधिकर्ता के माध्यम से आपत्ति या सुझाव सहित उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जायेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम व पता	:	“मालपानी ऐजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट” मंगलवारा, नेहरू वार्ड पिपरिया, तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद.
सम्पत्ति का विवरण	:	पंजीयन बाद सहयोग लिया जावेगा.
उद्देश्य	:	मानव कल्याण हेतु पारमार्थिक कार्य.

राजेश शाही,

अनुविभागीय अधिकारी(रा.).

(695)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1149.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सालरिया, पंजीयन क्रमांक 88, दिनांक 30 नवम्बर, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सालरिया, पंजीयन क्रमांक 88, दिनांक 30 नवम्बर, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. एस. जरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(689)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1150.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छापेरिया,

पंजीयन क्रमांक 35, दिनांक 19 जनवरी, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छापरिया, पंजीयन क्रमांक 35, दिनांक 19 जनवरी, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. एस. जरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(689-A)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1151.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मंदिरवाला डेरा, पंजीयन क्रमांक 763, दिनांक 28 जुलाई, 2001 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

संस्था प्रशासक श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है।

प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मंदिरवाला डेरा, पंजीयन क्रमांक 763, दिनांक 28 जुलाई, 2001 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. एस. जरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(689-B)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1152.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ठिकरिया, पंजीयन क्रमांक 14, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

संस्था प्रशासक श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है.

प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है.

प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये सरदार वल्लभ भाई पटेल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ठिकरिया, पंजीयन क्रमांक 14, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री पं. विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(689-C)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1153.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोंदलमउ, पंजीयन क्रमांक 33, दिनांक 19 नवम्बर, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री आर. एस. गौरेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोंदलमउ, पंजीयन क्रमांक 33, दिनांक 19 नवम्बर, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री पं. विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(689-D)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1154.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पानखेडी, पंजीयन क्रमांक 17, दिनांक 12 नवम्बर, 2014 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री आर. एस. ग्रेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पानखेडी, पंजीयन क्रमांक 17, दिनांक 12 नवम्बर, 2014 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री पं. विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(689-E)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1155.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा नाकोडा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडौद, पंजीयन क्रमांक 1008, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

संस्था प्रशासक श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है।

प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये नाकोडा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडौद, पंजीयन क्रमांक 1008, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(689-F)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1156.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धरोला, पंजीयन क्रमांक 42, दिनांक 22 जनवरी, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धरोला, पंजीयन क्रमांक 42, दिनांक 22 जनवरी, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(689-G)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1157.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुदरावन, पंजीयन क्रमांक 77, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुदरावन, पंजीयन क्रमांक 77, दिनांक 23 सितम्बर, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(689-H)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1158.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आक्या, पंजीयन क्रमांक 41, दिनांक 22 जनवरी, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री के. के. कांगले, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आक्या, पंजीयन क्रमांक 41, दिनांक 22 जनवरी, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. एस. ग्रेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(689-I)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1159.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा बैजनाथ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लाला, पंजीयन क्रमांक 45, दिनांक 24 जनवरी, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

संस्था प्रशासक श्री बी. एस. सौलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है।

प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये बैजनाथ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लाला, पंजीयन क्रमांक 45, दिनांक 24 जनवरी, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. एस. ग्रेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(689-J)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1160.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोटिया किशना, पंजीयन क्रमांक 37, दिनांक 22 जनवरी, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री के. के. कांगले, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लोटिया किशना, पंजीयन क्रमांक 37, दिनांक 22 जनवरी, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. एस. गोरठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(689-K)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1161.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिंगोडा, पंजीयन क्रमांक 36, दिनांक 19 जनवरी, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री पं. विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लिंगोडा, पंजीयन क्रमांक 36, दिनांक 19 जनवरी, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री के. के. कांगले, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(689-L)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1162.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अनुपुरा, पंजीयन क्रमांक 62, दिनांक 15 जून, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री पं. विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अनुपुरा, पंजीयन क्रमांक 62, दिनांक 15 जून, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री के. के. कांगले, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(689-M)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1163.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुलमडी, पंजीयन क्रमांक 54, दिनांक 18 मार्च, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री गणेश बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुलमडी, पंजीयन क्रमांक 54, दिनांक 18 मार्च, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री के. के. कांगले, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(689-N)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1164.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अंतरालिया, पंजीयन क्रमांक 1078, दिनांक 15 जनवरी, 2013 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अंतरालिया, पंजीयन क्रमांक 1078, दिनांक 15 जनवरी, 2013 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री गोपाल माहेश्वरी, उप-अंकेक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(689-O)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1168.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., माणा, पंजीयन क्रमांक 57, दिनांक 30 मार्च, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

संस्था प्रशासक श्री के. के. कांगले, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है.

प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है.

प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., माणा, पंजीयन क्रमांक 57, दिनांक 30 मार्च, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री गोपाल माहेश्वरी, उप-अंकेक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(689-P)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1167.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नान्याखेडी अहीर, पंजीयन क्रमांक 50, दिनांक 23 नवम्बर, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री पं. विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नान्याखेडी अहीर, पंजीयन क्रमांक 50, दिनांक 23 नवम्बर, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(689-Q)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1168.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भादवा, पंजीयन क्रमांक 34, दिनांक 19 जनवरी, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री पं. विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भादवा, पंजीयन क्रमांक 34, दिनांक 19 जनवरी, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(689-R)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1169.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आक्याभाटी, पंजीयन क्रमांक 20, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री पं. विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आक्याभाटी, पंजीयन क्रमांक 20, दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(689-S)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1170.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निपानिया हनुमान, पंजीयन क्रमांक 47, दिनांक 23 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री के. के. कांगले, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., निपानिया हनुमान, पंजीयन क्रमांक 47, दिनांक 23 फरवरी, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(689-T)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1171.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढाबला पिपलोन, पंजीयन क्रमांक 40, दिनांक 22 नवम्बर, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री के. के. कांगले, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., ढाबला पिपलोन, पंजीयन क्रमांक 40, दिनांक 22 नवम्बर, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(689-U)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1172.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेडा, पंजीयन क्रमांक 49, दिनांक 23 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री पं. विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेडा, पंजीयन क्रमांक 49, दिनांक 23 फरवरी, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(689-V)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1173.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जहांगीपुरा, पंजीयन क्रमांक 70, दिनांक 01 सितम्बर, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री पं. विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जहांगीपुरा, पंजीयन क्रमांक 70, दिनांक 01 सितम्बर, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मोहम्मद आरिफ खान, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(689-W)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1174.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरगडी, पंजीयन क्रमांक 48, दिनांक 23 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री पं. विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है।

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरगडी, पंजीयन क्रमांक 48, दिनांक 23 फरवरी, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मोहम्मद आरिफ खान, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(689-X)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1175.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बराह, पंजीयन क्रमांक 66, दिनांक 22 जून, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री पं. विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बराह, पंजीयन क्रमांक 66, दिनांक 22 जून, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मोहम्मद आरिफ खान, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(689-Y)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1176.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवली, पंजीयन क्रमांक 29, दिनांक 14 जनवरी, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री के. के. कांगले, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवली, पंजीयन क्रमांक 29, दिनांक 14 जनवरी, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(689-Z)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1177.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आम्बादेव, पंजीयन क्रमांक 30, दिनांक 14 जनवरी, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री के. के. कांगले, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आम्बादेव, पंजीयन क्रमांक 30, दिनांक 14 जनवरी, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(690)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1178.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रलायती, पंजीयन क्रमांक 39, दिनांक 22 जनवरी, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री के. के. कांगले, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रलायती, पंजीयन क्रमांक 39, दिनांक 22 जनवरी, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(690-A)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1179.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गरेली, पंजीयन क्रमांक 79, दिनांक 05 अक्टूबर, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गरेली, पंजीयन क्रमांक 79, दिनांक 05 अक्टूबर, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री बी. एस. सौलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(690-B)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1180.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या सोनगरा, पंजीयन क्रमांक 16, दिनांक 12 नवम्बर, 2014 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपल्या सोनगरा, पंजीयन क्रमांक 16, दिनांक 12 नवम्बर, 2014 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री बी. एस. सौलंकी, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(690-C)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1181.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दावतपुर, पंजीयन क्रमांक 26, दिनांक 05 जनवरी, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दावतपुर, पंजीयन क्रमांक 26, दिनांक 05 जनवरी, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री बी. एस. सौलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(690-D)

आगर-मालवा, दिनांक 08/11 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1232.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल के आदेश क्रमांक/सह.नि.प्रा./निर्वा-2/2016/5024, भोपाल, दिनांक 17 मई, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पालखेडी, पंजीयन क्रमांक 82, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 के संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रारूप छ में सदस्यता सूची प्राप्त कर स्थानीय स्तर पर सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकतम 2 माह में कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा संस्था प्रशासक श्री सुरेन्द्र जैन, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा लिखित में बताया गया कि उक्त संस्था अकार्यशील/बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन में कोई रुचि नहीं ली जा रही है जिससे संस्था संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है, इसलिये दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गयी है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा से स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तथा संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों को उल्लंघन किया जा रहा है.

दुग्ध संघ पर्यवेक्षक तथा प्रशासक की अनुशंसा एवं संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन के परिणामस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पालखेडी, पंजीयन क्रमांक 82, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 को आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मोहम्मद आरिफ खान, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 08 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

आर. एस. गौर,

उप-पंजीयक.

(690-E)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 18 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नान्याखेडी अहीर	50/23-02-2015	1167/11-07-2016
2.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भादवा	34/19-01-2015	1168/11-07-2016
3.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., आक्याभाटी	20/21-11-2014	1169/11-07-2016

अतः मैं, योगेश शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(673)

योगेश शर्मा,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 25 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	नाकोडा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडौद	1008/28-10-2009	1155/11-07-2016
2.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., धरोला	42/22-01-2015	1156/11-07-2016
3.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुदरावन	77/23-09-2015	1157/11-07-2016

अतः मैं, मनोहर कैथवास, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या

रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(674)

मनोहर कैथवास,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 25 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जहांगीरपुरा	70/01-09-2015	1173/11-07-2016
2.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरगडी	48/23-02-2015	1174/11-07-2016
3.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बराह	66/22-06-2015	1175/11-07-2016

अतः मैं, मोहम्मद आरिफ खान, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(677)

मोहम्मद आरिफ खान,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर मालवा, दिनांक 25 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के

तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अंतरालिया	1078/15-01-2013	1164/11-07-2016
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लालाखेडी (सोयत)	329/24-10-1985	1165/11-07-2016
3.	बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., माणा	57/30-03-2015	1166/11-07-2016

अतः मैं, गोपाल माहेश्वरी, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(678)

गोपाल माहेश्वरी,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 22 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत]

क्र./2016/क्यू.1.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	माँ गायत्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडोद	944/31-07-2006	क्र./परि./2015/186/22-09-2015
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलोन खुर्द	381/05-09-1986	क्र./परि./2015/186/22-09-2015
3.	बैंक से वेतन पाने वाली कर्मचारियों की साख सहकारी संस्था मर्या., सुसनेर.	4937/19-12-1943	क्र./परि./2016/550/15-03-2016

अतः मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे वंचित होने के दायित्वधिन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था को लेखापुस्तक में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये हैं समझे जावेंगे.

आज दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

(679)

सुरेन्द्र जैन,
परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 20 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुग्धपुरा,
तहसील आगर, जिला आगर-मालवा.

विषय:—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1242.—वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दुग्धपुरा, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 724, दिनांक 14 जुलाई, 1999 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का पालन नहीं किये जाने से क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. अंकेक्षण टीप अनुसार संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम एवं उपविधि अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों के अंकेक्षण आक्षेपों की तामीली की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्त के 30 दिवस के अंदर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं तथा आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(680)

आगर-मालवा, दिनांक 20 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लाडवन,
तहसील आगर, जिला आगर-मालवा.

विषय:—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1243.—वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लाडवन, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 721, दिनांक 02 जनवरी, 1999 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का पालन नहीं किये जाने से क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. अंकेक्षण टीप अनुसार संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम एवं उपविधि अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों के अंकेक्षण आक्षेपों की तामीली की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं तथा आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(680-A)

आगर-मालवा, दिनांक 20 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चकपचौरा,
तहसील आगर, जिला आगर-मालवा.

विषय:—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1244.—वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चकपचौरा, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 748, दिनांक 19 नवम्बर, 2000 द्वारा निर्माकित बिन्दुओं का पालन नहीं किये जाने से क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. अंकेक्षण टीप अनुसार संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम एवं उपविधि अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों के अंकेक्षण आक्षेपों की तामीली की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं तथा आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(680-B)

आगर-मालवा, दिनांक 20 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजनाखेडी,
तहसील आगर, जिला आगर-मालवा.

विषय:—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1245.—वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिजनाखेडी, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 722,

दिनांक 14 जुलाई, 1999 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का पालन नहीं किये जाने से क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. अंकेक्षण टीप अनुसार संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम एवं उपविधि अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों के अंकेक्षण आक्षेपों की तामीली की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं तथा आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(680-C)

आगर-मालवा, दिनांक 20 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिकली गोयल,
तहसील आगर, जिला आगर-मालवा.

विषय:—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1246.—वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिकली गोयल, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 32, दिनांक 17 मार्च, 2003 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का पालन नहीं किये जाने से क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. अंकेक्षण टीप अनुसार संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम एवं उपविधि अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों के अंकेक्षण आक्षेपों की तामीली की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं तथा आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(680-D)

आगर-मालवा, दिनांक 20 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जगतपुरा,
तहसील आगर, जिला आगर-मालवा.

विषय:—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1247.—वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जगतपुरा, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 26, दिनांक 07 अक्टूबर, 2002 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का पालन नहीं किये जाने से क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. अंकेक्षण टीप अनुसार संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम एवं उपविधि अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों के अंकेक्षण आक्षेपों की तामीली की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्त के 30 दिवस के अंदर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं तथा आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(680-E)

आगर-मालवा, दिनांक 20 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अभयपुर खेडा,
तहसील आगर, जिला आगर-मालवा.

विषय:—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1248.—वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., अभयपुर खेडा, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 27, दिनांक 07 अक्टूबर, 2002 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का पालन नहीं किये जाने से क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. अंकेक्षण टीप अनुसार संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम एवं उपविधि अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों के अंकेक्षण आक्षेपों की तामीली की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्त के 30 दिवस के अंदर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध

में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं तथा आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(680-F)

आगर-मालवा, दिनांक 20 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झिकडिया,
तहसील आगर, जिला आगर-मालवा।

विषय:—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

क्र./परि./2016/1249.—वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झिकडिया, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 31, दिनांक 17 मार्च, 2003 द्वारा निर्मांकित बिन्दुओं का पालन नहीं किये जाने से क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. अंकेक्षण टीप अनुसार संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है।
2. संस्था द्वारा अधिनियम एवं उपविधि अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है।
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों के अंकेक्षण आक्षेपों की तामिली की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं तथा आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(680-G)

आगर-मालवा, दिनांक 20 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रोझानी,
तहसील आगर, जिला आगर-मालवा।

विषय:—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

क्र./परि./2016/1250.—वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रोझानी, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 39,

दिनांक 31 दिसम्बर, 2004 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का पालन नहीं किये जाने से क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. अंकेक्षण टीप अनुसार संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम एवं उपविधि अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों के अंकेक्षण आक्षेपों की तामीली की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं तथा आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(680-H)

आगर-मालवा, दिनांक 20 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुडिया,
तहसील आगर, जिला आगर-मालवा.

विषय:—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1251.—वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुडिया, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 41, दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का पालन नहीं किये जाने से क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. अंकेक्षण टीप अनुसार संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम एवं उपविधि अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों के अंकेक्षण आक्षेपों की तामीली की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं तथा आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(680-I)

आगर-मालवा, दिनांक 20 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिकली परमार,
तहसील आगर, जिला आगर-मालवा.

विषय:—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1252.—वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिकली परमार, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 25, दिनांक 07 अक्टूबर, 2002 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का पालन नहीं किये जाने से क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. अंकेक्षण टीप अनुसार संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम एवं उपविधि अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों के अंकेक्षण आक्षेपों की तामीली की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं तथा आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(680-J)

आगर-मालवा, दिनांक 20 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सालरी,
तहसील आगर, जिला आगर-मालवा.

विषय:—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1253.—वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सालरी, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 40, दिनांक 13 दिसम्बर, 2004 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का पालन नहीं किये जाने से क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. अंकेक्षण टीप अनुसार संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम एवं उपविधि अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों के अंकेक्षण आक्षेपों की तामीली की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध

में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं तथा आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(680-K)

आगर-मालवा, दिनांक 20 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पालडा,
तहसील आगर, जिला आगर-मालवा।

विषय:—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

क्र./परि./2016/1254.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पालडा, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 916, दिनांक 22 अगस्त, 2006 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का पालन नहीं किये जाने से क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. अंकेक्षण टीप अनुसार संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है।
2. संस्था द्वारा अधिनियम एवं उपविधि अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है।
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों के अंकेक्षण आक्षेपों की तामीली की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं तथा आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(680-L)

आगर-मालवा, दिनांक 20 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ढण्डेडा,
तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा।

विषय:—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र।

क्र./परि./2016/1255.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., ढण्डेडा, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 869,

दिनांक 10 दिसम्बर, 2003 द्वारा निर्मांकित बिन्दुओं का पालन नहीं किये जाने से क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. अंकेक्षण टीप अनुसार संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम एवं उपविधि अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों के अंकेक्षण आक्षेपों की तामीली की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं तथा आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(680-M)

आगर-मालवा, दिनांक 20 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अहीर बर्डिया,
तहसील आगर, जिला आगर-मालवा.

विषय:—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1256.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अहीर बर्डिया, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 917, दिनांक 22 अगस्त, 2006 द्वारा निर्मांकित बिन्दुओं का पालन नहीं किये जाने से क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. अंकेक्षण टीप अनुसार संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम एवं उपविधि अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों के अंकेक्षण आक्षेपों की तामीली की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं तथा आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(680-N)

आगर-मालवा, दिनांक 20 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नैन्याखेडी,
तहसील आगर, जिला आगर-मालवा.

विषय:—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1257.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नैन्याखेडी, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 918, दिनांक 22 अगस्त, 2006 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का पालन नहीं किये जाने से क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. अंकेक्षण टीप अनुसार संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम एवं उपविधि अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों के अंकेक्षण आक्षेपों की तामीली की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं.

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं तथा आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(680-0)

आगर-मालवा, दिनांक 20 जुलाई, 2016

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा अध्यक्ष,
महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सुईगांव,
तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा.

विषय:—मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र.

क्र./परि./2016/1258.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सुईगांव, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 1046, दिनांक 28 फरवरी, 2011 द्वारा निम्नांकित बिन्दुओं का पालन नहीं किये जाने से क्यों न मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जावे.—

1. अंकेक्षण टीप अनुसार संस्था विगत कई वर्षों से अकार्यशील है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम एवं उपविधि अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा विगत वर्षों के अंकेक्षण आक्षेपों की तामीली की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह अपेक्षा करता हूँ कि इस सूचना-पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध

में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं तो दिनांक 22 अगस्त, 2016 को कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर पक्ष समर्थन कर सकते हैं।

यदि उक्त दिनांक अथवा उसके पूर्व संस्था द्वारा समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित आरोप स्वीकार हैं तथा आपकी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जा सकेगा।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(680-P)

आगर-मालवा, दिनांक 21 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1264.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मदकोटा, तहसील बड़ौद, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 198, दिनांक 07 सितम्बर, 1981 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/364, दिनांक 23 फरवरी, 2016 से धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन/प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार हैं तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मदकोटा, तहसील बड़ौद, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 198, दिनांक 07 सितम्बर, 1981 को आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(680-Q)

आगर-मालवा, दिनांक 21 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1265.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कानड, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 178, दिनांक 20 सितम्बर, 1980 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/364, दिनांक 23 फरवरी, 2016 से धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन/प्रत्युत्तर चाहा गया था।

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार हैं तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कानड, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 178, दिनांक 20 सितम्बर, 1980 को आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(680-R)

आगर-मालवा, दिनांक 21 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1266.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलखेडी, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 360, दिनांक 07 फरवरी, 1986 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/364, दिनांक 23 फरवरी, 2016 से धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बाताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन/प्रत्युत्तर चाहा गया था.

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार हैं तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं.

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पीपलखेडी, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 360, दिनांक 07 फरवरी, 1986 को आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री पं. श्री विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(680-S)

आगर-मालवा, दिनांक 21 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1267.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुडभेली, तहसील बड़ौद, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 455, दिनांक 21 दिसम्बर, 1987 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/364, दिनांक 23 फरवरी, 2016 से धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बाताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन/प्रत्युत्तर चाहा गया था.

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार हैं तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं.

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गुडभेली, तहसील बड़ौद, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 455, दिनांक 21 दिसम्बर, 1987 को आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एल. एस. ठाकुर, अंकेक्षण अधिकारी को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(680-T)

आगर-मालवा, दिनांक 21 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1268.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीमाखेडी, तहसील बड़ौद, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 255, दिनांक 30 दिसम्बर, 1983 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/364, दिनांक 23 फरवरी, 2016 से धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बाताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन/प्रत्युत्तर चाहा गया था.

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार हैं तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भीमाखेडी, तहसील बड़ौद, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 255, दिनांक 30 दिसम्बर, 1983 को आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एल. एस. ठाकुर, अंकेक्षण अधिकारी को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(680-U)

आगर-मालवा, दिनांक 21 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1270.—माँ बगलामुखी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नलखेडा, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 1020, दिनांक 05 मई, 2010 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/364, दिनांक 23 फरवरी, 2016 से धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन/प्रत्युत्तर चाहा गया था.

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार हैं तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ बगलामुखी बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नलखेडा, तहसील नलखेडा, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 1020, दिनांक 05 मई, 2010 को आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री बी. एस. सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(680-V)

आगर-मालवा, दिनांक 21 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1271.—बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोयतकला, तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 1047, दिनांक 09 मई, 2011 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/364, दिनांक 23 फरवरी, 2016 से धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन/प्रत्युत्तर चाहा गया था.

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार हैं तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सोयतकला, तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 1047, दिनांक 09 मई, 2011 को आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री आर. एस. जरिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(680-W)

आगर-मालवा, दिनांक 21 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1272.—गायत्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., बड़ौद, तहसील बड़ौद, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 944, दिनांक 31 जुलाई, 2006 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/364, दिनांक 23 फरवरी, 2016 से धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन/प्रत्युत्तर चाहा गया था.

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार हैं तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं.

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये गायत्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., बड़ौद, तहसील बड़ौद, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 944, दिनांक 31 जुलाई, 2006 को आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री मोहम्मद आरिफ खान, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(680-X)

आगर-मालवा, दिनांक 21 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1273.—शंकर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., सोयतकला, तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 1068, दिनांक 08 अगस्त, 2012 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/364, दिनांक 23 फरवरी, 2016 से धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन/प्रत्युत्तर चाहा गया था.

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार हैं तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं.

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये शंकर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., सोयतकला, तहसील सुसनेर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 1068, दिनांक 08 अगस्त, 2012 को आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री के. के. कांगले, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(680-Y)

आगर-मालवा, दिनांक 21 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1274.—मारूति साख सहकारी संस्था मर्या., आगर, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 941, दिनांक 07 जून, 2006 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/364, दिनांक 23 फरवरी, 2016 से धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन/प्रत्युत्तर चाहा गया था.

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार हैं तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं.

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मारूति साख सहकारी संस्था मर्या., आगर, तहसील आगर, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 941, दिनांक 07 जून, 2006 को आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री एम. के. भटनागर, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(680-Z)

आगर-मालवा, दिनांक 21 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1275.—श्रीकृष्ण साख सहकारी संस्था मर्या., बडागांव, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 861, दिनांक 02 फरवरी, 2001 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/364, दिनांक 23 फरवरी, 2016 से धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन/प्रत्युत्तर चाहा गया था.

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार हैं तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं.

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ.

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्रीकृष्ण साख सहकारी संस्था मर्या., बडागांव, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 861, दिनांक 02 फरवरी, 2001 को आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री सुरेन्द्र जैन, सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(681)

आगर-मालवा, दिनांक 21 जुलाई, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/1276.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बडागांव, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 394, दिनांक 27 नवम्बर, 1986 को कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2016/364, दिनांक 23 फरवरी, 2016 से धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर संस्था से कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर पक्ष समर्थन/प्रत्युत्तर चाहा गया था.

संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का उत्तर प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि उन्हें आरोप स्वीकार हैं तथा वह अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।

संस्था द्वारा अपना पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं करने से स्पष्ट है कि संस्था सहकारी अधिनियम एवं संस्था उपविधि के उल्लंघन कर रही है जिसके फलस्वरूप उक्त संस्था का अस्तित्व में रहना उचित नहीं है तथा संस्था को परिसमापन में लाये जाने का उचित कारण पाता हूँ।

अतः मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बड़ागांव, तहसील नलखेड़ा, जिला आगर-मालवा, पंजीयन क्रमांक 394, दिनांक 27 नवम्बर, 1986 को आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 से परिसमापन में लाता हूँ तथा श्री गोपाल माहेश्वरी, उप-अंकेक्षक को उपरोक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ। परिसमापक एक सप्ताह में संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट की एक प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करते हुये नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 21 जुलाई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

आर. एस. गौर,
उप-पंजीयक.

(681-A)

कार्यालय परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 24 अगस्त, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2016/क्यू.1.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा द्वारा अपने अधोलिखित आदेश द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं, जिनके पंजीयन क्रमांक सम्मुख लिखे हैं, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-71 (1) के तहत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	संजोग मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., भवानीपुरा	01/11-12-2013	क्यू./03-06-2016
2.	हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., चिकली गोयल	599/26-05-1992	871/13-06-2016

अतः मैं, एल. पी. रजक, परिसमापक एवं सहायक मत्स्य अधिकारी कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो, तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से 02 माह के अंदर मुझे कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग, जिला आगर-मालवा में मय प्रमाण के लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयवाधि पश्चात् दावे/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा यह मानकर कि संस्था से किसी लेनदार का कोई दावा शेष नहीं है, संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो, तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

एल. पी. रजक,
परिसमापक एवं सहायक मत्स्य अधिकारी.

(692)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 सितम्बर 2016-भाद्र 18, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 25 मई, 2016

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 01 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अटेर, भिण्ड, मेहगांव (भिण्ड), ग्वालियर, डबरा, भितरवार, घाटीगांव (ग्वालियर), गौरीहार, छतरपुर, बड़ामल्हरा (छतरपुर), अजयगढ़, पवई, शाहनगर (पन्ना), सागर, मालथोन (सागर), रघुराजनगर, बिरसिंहपुर (सतना), जैतहरी, अनूपपुर, कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), गोपदवनास, मझौली (सीधी), पाटन (जबलपुर), डिण्डोरी (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील रामनगर, मैहर (सतना) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील अमरपाटन (सतना) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.— जिला ग्वालियर, मंदसौर, झाबुआ, बड़वानी, सीहोर व सिवनी में जुताई का कार्य चालू है.

3. बोनी.— ..

4. फसल स्थिति.— ..

5. कटाई.— ..

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, रीवा, शहडोल, सिंगरौली, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन, डिण्डोरी व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का सामाहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 25 मई, 2016

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह
2. पोरसा
3. मुरैना
4. जौरा
5. सबलगढ़
6. कैलारस
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर
2. कराहल
3. विजयपुर
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2.3	2.3
2. भिण्ड 10.0	10.0
3. गोहद
4. मेहगांव 3.0	3.0
5. लहार
6. मिहोना
7. रौन
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 16.8	16.8
2. डबरा 9.2	9.2
3. भितरवार 0.5	0.5
4. घाटीगांव 12.0	12.0
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों, मसूर, गन्ना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ...
1. सेवड़ा
2. दतिया
3. भाण्डेर
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी
2. पिछोर
3. खनियाधाना
4. नरवर
5. करैरा
6. कोलारस
7. पोहरी
8. बदरवास

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक उड़द, गन्ना, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राधोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	..		4. (1) तिल अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	3.0		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	7.0				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	1.6				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	16.0		4. (1) तिल, गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. ..
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	2.0				
5. शाहनगर	6.0				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	..				
4. सागर	0.6				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	12.2				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	..		4. (1) मूँग, उड़द, गन्ना, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. रघुराजनगर	10.8		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	43.0				
7. रामनगर	33.0				
8. मैहर	25.0				
9. बिरसिंहपुर	8.0				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..		4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	..		कम. मसूर, अलसी, अरहर	चारा पर्याप्त.	
3. मऊगंज	..		समान.		
4. हनुमना	..		(2) ..		
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकूर्चिलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..		4. (1) गन्ना, तुअर, गेहूँ, मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	4.7		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	1.2		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	3.0				
4. पुष्पराजगढ़	12.8				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. बांधवगढ़	..		4. (1) तुअर अधिक. गेहूँ, चना, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	..		राई-सरसों, अलसी कम.	चारा पर्याप्त.	
3. मानपुर	..		(2) ..		

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गोपदवनास	9.4		4. (1) चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिहावल	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	2				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..		
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..		
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) राई-सरसों, मटर अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..		
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
*जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. महिदपुर	..		(2) ..		
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) गेहूँ, चना.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..		
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. मो. बड़ोदिया	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		(2) ..		
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..		(2) ..		
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, अलसी, राई-सरसों	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		अधिक. ज्वार, धान, कपास, मूँगफली,	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		तुअर, गेहूँ, चना कम.		
4. खरगौन	..		(2) ..		
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
1. बड़वानी	..				
2. ठीकरी	..				
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खण्डवा	..				
2. पंधाना	..				
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..				
2. खकनार	..				
3. नेपानगर	..				
*जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. जीरापुर	..				
2. खिलचीपुर	..				
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. लटेरी	..				
2. सिरोंज	..				
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..				
2. हुजूर	..				
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोर	..				
2. आष्टा	..				
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मूँग समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) मूँग.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढी	..				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	..		4. (1) गेहूँ, चना सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..		4. (1) उड़द, मूँग सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	13.4		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डम	..				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघौगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..		4. (1) सोयाबीन, धान, गन्ना, मूँग, चना, मटर, मसूर, अधिक. तुअर कम. उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	..		(2) ..		
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	..		4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. डिण्डोरी	4.2		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	..		(2) ..		
3. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	..		(2) ..		
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	..				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	..		4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूँग, अरण्डी, राई-सरसों, अलसी, कुसुम, सूजमुखी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	..		(2) ..		
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	..		(2) ..		
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला उज्जैन, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.